कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

पृष्ठभूमि

यह प्रतिवेदन वर्ष 2012–13 के दौरान बिहार सरकार के वित्त पर वित्तीय निष्पादन का आकलन करने तथा राज्य सरकार और राज्य विधान मंडल को उचित प्रकार से वित्तीय आंकड़ों पर लेखापरीक्षा विश्लेषण के रूप में सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत है। इस विश्लेषण को उचित परिपेक्ष्य में रखने के लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010, तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन एवं बजट अनुमान 2012–13 में दिये गए लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियों की तुलना का प्रयास किया गया है।

यह प्रतिवेदन

मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार के लेखा परीक्षित लेखाओं पर आधारित यह प्रतिवेदन, सरकार के वार्षिक लेखे की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करती है। यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय–I वित्त लेखा की लेखापरीक्षा पर आधारित है और 31 मार्च 2013 तक के बिहार सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह पूर्व वर्ष की तुलना में मुख्य राजकोषीय संचय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी तथा ऋण की अदायगी तथा उधार प्रतिमान की प्रवृत्तियों की जानकारी देने के अतिरिक्त बजट से इतर मार्ग से राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को सीधे स्थानांतरित केन्द्रीय निधियों का संक्षिप्त लेखा भी उपलब्ध कराता है।

अध्याय–II विनियोग लेखा की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोगों का अनुदानवार विवरण देता है तथा सेवा प्रदायी विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंध के ढ़ंग का वर्णन करता है। इसमें "अनुदान संख्या–12 वित्त विभाग की समीक्षा" तथा "अनुदान संख्या–43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग की समीक्षा" नामक दो अनुदानों की विस्तृत समीक्षा दी गयी है। इसमें यह पता लगाने की चेष्टा की गयी है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत हुए व्यय वास्तव में विनियोजन अधिनियम के अंतर्गत दिये गए प्राधिकरण में हुए थे अथवा नहीं।

अध्याय–III विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के साथ बिहार सरकार के अनुपालन की एक सूची है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष के समर्थन में विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों से एकत्रित किए गए आँकड़े भी इस अध्याय में होते हैं।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष

अध्याय I

राजस्व प्राप्तियाँ: इस वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 16.07 प्रतिशत (₹ 8246.49 करोड़) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः अपने कर राजस्व में 28.87 प्रतिशत (₹ 3640.98 करोड़)

तथा संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश में 14.19 प्रतिशत (₹ 3965.16 करोड़) की वृद्धि के कारण हुई।

कर राजस्वः राज्य का अपना कर राजस्व (₹ 16253.08 करोड) बजट प्राक्कलन (₹ 15695.30 करोड़) तथा तेरहवें वित्त आयोग के निर्धारण (₹ 10537.39 करोड़) से क्रमशः 3.55 प्रतिशत (₹ 557.78 करोड़) तथा 54.24 प्रतिशत (₹ 5715.69 करोड) अधिक हो गया।

करेत्तर राजस्वः पूर्व वर्ष की तुलना में करेत्तर राजस्व (₹ 1135.27 करोड़) 27.58 प्रतिशत (₹ 245.41 करोड़) से अधिक हो गया । यद्यपि करेत्तर राजस्व बजट प्राक्कलन (₹ 3142.46 करोड़) से 63.87 प्रतिशत (₹ 2007.19 करोड़) कम था तथा तेरहवें वित्त आयोग के निर्धारण (₹ 1907.27 करोड़) से 40.48 प्रतिशत (₹ 772 करोड़) नीचे था।

राजस्व व्ययः वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (₹ 54466.15 करोड़) में 17.13 प्रतिशत (₹ 7966.66 करोड़) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः सामान्य सेवाओं पर व्यय में 5.16 प्रतिशत (₹ 915.39 करोड़), सामाजिक सेवाओं में 23.38 प्रतिशत (₹ 4378.59 करोड़) तथा आर्थिक सेवाओं में 26.62 प्रतिशत (₹ 2672.14 करोड़) की वृद्धि के कारण हुई। तथापि, वर्ष के दौरान राजस्व व्यय बजट प्राक्कलन (₹ 60959.27 करोड़) से 10.65 प्रतिशत (₹ 6493.12 करोड़) कम था।

गैर योजना एवं योजना व्ययः वर्ष के दौरान गैर योजना व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) में 10.61 प्रतिशत (₹ 3614.59 करोड़) की वृद्धि हुई तथा योजनागत व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) में 23.87 प्रतिशत (₹ 5084.58 करोड़) की वृद्धि हुई।

राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को भारत सरकार द्वारा सीधे हस्तांतरित निधिः वर्ष 2012–13 के दौरान भारत सरकार ने राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को ₹ 8314.38 करोड़ सीधे हस्तांतरित किया जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में सात प्रतिशत कम था। यह राशि बजट/राज्य कोषागार प्रणाली के इतर मार्ग से था तथा इसलिए यह राज्य के वित्त लेखा में वर्णित नहीं था।

स्थानीय निकायों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायताः वर्ष 2011–12 में वित्तीय सहायता ₹ 14444 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 के दौरान ₹ 17454 करोड़ हो गयी। पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 3010 करोड़ (21 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः शैक्षणिक संस्था (₹ 2750 करोड़), नगर निगम तथा नगर निकाय (₹ 317 करोड़) तथा विकास एजेन्सियों (₹ 49 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई। तथापि अन्य संस्थाओं की सहायता में ₹ 142 करोड़ की कमी आई।

अपूर्ण परियोजनाएँः सम्मिलित रूप से 298 योजनाओं/परियोजनाओं (अनुमानित लागत ₹ 3829.75 करोड़) को मार्च 2013 तक पूर्ण होना था, परंतु वे अपूर्ण रहे जिसके फलस्वरूप ₹ 1487.57 करोड़ अवरूद्ध हो गया।

राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिमः प्रदत्त ऋण की मात्रा वर्ष 2011–12 में ₹ 1906.08 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 2085.95 करोड़ हो गयी।

नकदी शेषः वर्ष 2011–12 के दौरान नकद शेष ₹ 1509.45 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 के दौरान ₹ 3715.58 करोड़ हो गया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के

प्रतिभूतियों में राज्य सरकार का निवेश 31 मार्च 2013 को ₹ 429.81 करोड़ से बढ़कर ₹ 2069.72 करोड़ हो गया।

राजकोषीय देयताः राज्य की देयता वर्ष 2008–09 में ₹ 54976.75 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 76503 करोड़ हो गया।

अध्याय II

वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधनः मार्च 2013 में ₹ 4421.04 करोड़ (21 मुख्य शीर्षो के अंतर्गत कुल व्यय ₹ 7396.10 करोड का 59.77 प्रतिशत) का व्यय हुआ। इस प्रकार, वर्ष के अंतिम भाग में विभाग द्वारा वृहत राशि का व्यय, दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन, नियंत्री अधिकारियों द्वारा व्यय पर प्रभावी नियंत्रण का अभाव तथा वित्तीय वर्ष के सिर्फ अंतिम भाग में बजट का उपयोग करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

वर्ष 2012–13 के दौरान 78 मुख्य शीर्षो के अंतर्गत ₹ 53332.91 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक) के व्यय का समाशोधन नहीं किया गया था।

"अनुदान संख्या–12 वित्त विभाग" की समीक्षा से प्रकट हुआ कि ₹ 212.58 करोड़ के कुल अभ्यर्पण में से ₹ 207.06 करोड़ (98 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2012–13 के अंतिम दिन में अभ्यर्पित (17 मामले) किये गये।

अध्याय III

वित्तीय प्रतिवेदनः

वर्ष 2012–13 तक भुगतान किये गए ₹ 34686.57 करोड़ के सहायता अनुदान के संबंध में 1522 उपयोगिता प्रमाण–पत्र 31 मार्च 2013 तक प्रेषण हेतु लंबित था।

आठ संबंधित विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा 31 मार्च 2013 तक आहरित ₹ 159.91 करोड़ का अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय 31 मार्च 2013 तक समायोजन हेतु लंबित था।